प्रकरण संख्या 37/2011 कमजी बनाम मृतक दलजी के बजाय लाला व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढेबरी देवा में आराजी नंबर 217, 221, 222 स्थित है, जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार निहित नहीं होते हुए भी वादी की भूमि में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण के जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन कि वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी दलजी का कब्जा कदीम समय से चला आ रहा है एवं वर्तमान भी भी प्रतिवादी की फसल बोई हुई है। वादी ने सेटलमेन्ट कर्मियों से मिलकर गलत स्थान पर नक्शे में पैमूदगी करवा ली है, जो अवैध होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे। उक्त काउण्टर क्लेम का वादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम निरस्त करने का निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 5 तनकियां कायम की गयी एवं पक्षकारों की साक्ष्य लेकर अपने निर्णय दिनांक 13.09.2007 से वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 28.03.2011 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वृद्ध होकर काफी समय से बीमार है एवं [illegible] परिवार [illegible] सभी सदस्य उदर पूर्ति के लिए गुज[illegible] जिससे समय पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं हुई। उक्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:42:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी दिनांक 10.03.2011 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण के संबंध में अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी डिक्री पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिससे निर्णय व डिक्री अवैध होकर शून्य प्रभावी है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 5 तनकियां बनाई, किन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है एवं निर्णय में साक्ष्यों का कोई विवेचन नहीं किया गया है। खातेदार कृषक होने पर भी मौके पर कब्जे से कम भूमि दी गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा वादी/अपीलान्ट का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 5 तनकियात कायम की गयी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2007 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियात पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.08.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:42:29 IST
Reason: SelfAttested

(अनिता मीना)
[illegible] अधिकारी
एवं पदेन [illegible] अपील अधिकारी
उदयपुर